सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 539 राँची ,सोमवार

5 कार्तिक 1936 (श०)

27 अक्टूबर, 2014 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

अधिसूचना

17 अक्टूबर, 2014

संख्या-03/प्रोन्नति-02-17/2014 का0 10188--श्री राम शंकर राय, झा0प्र0से0, कोटि क्रमांक- 390/03 को विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक दिनांक 4 जून, 2013 में की गई अनुशंसा के आलोक में विभागीय अधिसूचना सं0- 5583 दिनांक 24 जून, 2013 के द्वारा अपर समाहर्ता एवं समकक्ष कोटि में प्रोन्नति प्रदान की गई थी। तदोपरान्त उपायुक्त, धनबाद के पत्र दिनांक 8 जुलाई, 2013 द्वारा यह प्रतिवेदित किया गया कि श्री राय के विरूद्ध दर्ज धनबाद थाना कांड संख्या- 433/2006 दिनांक 27 जून, 2006 से संबंधित वाद में दिनांक 16 अगस्त, 2008 को धनबाद पुलिस द्वारा आरोप पत्र समर्पित किया जा चुका है।

उल्लेखनीय है कि विभागीय संकल्प सं0- 6227 दिनांक 20 नवम्बर, 2008 के कंडिका- 2(i) के अनुसार निम्नांकित स्थितियों में प्रोन्नति पर कुप्रभाव पड़ने का प्रावधान हैः-

(क) निलम्बन,

(ख) विभागीय कार्यवाही संचालित हो तथा आरोप पत्र निर्गत हो,

(ग) आपराधिक कार्यवाही फौजदारी न्यायालय में लम्बित रहने पर (आपराधिक कार्यवाही उस तिथि से लम्बित समझी जायेगी, जिस तिथि को फौजदारी न्यायालय में समर्पित किया गया हो)।

उपर्युक्त संकल्प के आलोक में श्री राय को प्रदान की गई प्रोन्नति के संबंध में विधिक्षा हेतु संदर्भित मामला विधि (न्याय) विभाग को पृष्ठांकित किया गया। विधि (न्याय) विभाग के परामर्श का कार्यकारी अंश निम्नवत् है:-

It is well settled that once the promotion is granted, it cannot be cancelled without following the Principle of natural justice. Hence, in the present case, the promotion granted to Sri Rai is liable to cancelled due to missrepresentation by Sri Rai, hence a show-cause may be issued to Sri Rai with respect to missrepresentation and concealment of the fact of submission of the charge-sheet long back and after consideration of the causes shown, the competent authority may proceed further for cancellation of the promotions.

विधि (न्याय) विभाग के परामर्श के आलोक में श्री राम शंकर राय से स्पष्टीकरण प्राप्त किया गया तथा उनके स्पष्टीकरण पर विचारोपरान्त पुनः विधि (न्याय) विभाग से आरोप पत्र की तिथि के सम्बन्ध में परामर्श प्राप्त किया गया, जिसमें यह अंकित है कि The criminal case is said to be pending from the date of submission of charge sheet by the police after the investigation.

विधि (न्याय) विभाग के उक्त परामर्श से स्पष्ट है कि श्री राय के विरूद्ध आरोप पत्र दिनांक 16 अगस्त, 2008 को धनबाद पुलिस द्वारा न्यायालय में समर्पित किया जा चुका है। अर्थात् विभागीय संकल्प सं0- 6227 दिनांक 20 नवम्बर, 2008 की कंडिका- 2(i) के आलोक में श्री राय को अपर समाहर्ता एवं समकक्ष स्तर में प्रोन्नति प्रदान करने हेतु विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा नियमसंगत नहीं थी।

अतः वर्णित परिप्रेक्ष्य में श्री राम शंकर राय, झा0प्र0से0 को अधिसूचना सं0- 5583 दिनांक 24 जून, 2013 द्वारा अपर समाहर्ता एवं समकक्ष कोटि में प्रदान की गई प्रोन्नति को वापस लेते हुए अनुमण्डल पदाधिकारी एवं समकक्ष स्तर में पदावनत किया जाता है।

यह अधिसूचना तत्काल प्रभाव से लागू होगी।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

सुमन कुमार,

सरकार के संयुक्त सचिव।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 539–50 ।